राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर०ए०एस०)

अपील इन्तकाल सं0	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2017	18.07.2017	26.10.2018

अनुवान

1. हरिकिशन पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी चांदपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर,राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चांदपुर जरिये सरपंच पं0 स0 मुण्डावर तह0 मुण्डावर
2. होशियार पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी चांदपुर तह0 मुण्डावर हाल आबाद पेहल, मुण्डावर
3. बलबीर पुत्र प्रभातीराम जाति अहीर निवासी चांदपुर तह0 मुण्डावर
4. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, अलवर

रेस्पाडेन्टान

अपील विरुद्ध इन्तकाल सं0 1507 ग्राम चांदपुर दिनांक 20.04.2015 ग्राम पंचायत चांदपुर तह0 मुण्डावर , अलवर के विरुद्ध पेश की जा रही है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त इन्तकाल बेजा रुप से स्वीकार किया गया है, बमुराद मसूबी तजबीज आज्ञा उक्त व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट व अन्य दादरसी–

उपस्थिति : 1– श्री सतीस चन्द यादव प्रथम – अपीलान्ट

निर्णय दिनांक :–26.10.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट की अपील का सारतः रहा कि अपील विरुद्ध आज्ञा इन्तकाल सं0 1507 वाके ग्राम चांदपुर दिनांक 20.04.2015 ग्राम पंचायत चांदपुर पेश की जा रही है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यो व बिनां पूर्ण कोरम के विपरित पारित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 638/0.13 है0 का 1/7 भाग होशियार सिंह की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा होशियार सिंह ने अपनी उक्त आराजी की रिलिज डिड मिन अपीलान्ट के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

नाम करदी जिसके आधार पर मिन अपीलान्ट के नाम इन्तकाल सं0 1434 दिनांक 20.05.2014 को दर्ज व मन्जूर हो गया तथा मिन अपीलान्ट रिलिज से प्राप्त आराजी पर काबिज काश्त होकर काश्त करता आ रहा हूं तथा इन्तकाल सं0 1434 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं तथा रिलिज कर्ता के नाम ही दर्ज रही है जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पा0 सं0 2 ने रेस्पा0 सं0 3 के नाम आराजी खसरा नं0 638 व 437 का बयनामा करा दिया जिस पर उक्त इन्तकाल सं0 1507 ग्राम पंचायत द्वारा बेजा बिना रिकार्ड जांच किये ही दर्ज कर दिया जबकि खसरा नं0 638 में रिलिज कर्ता होशियार का कोई हक व हकूक ही नहीं रहा तो बयनामा प्रारम्भ से शून्य है तथा शून्य बयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल सं0 1507 खसरा नं0 638 तक बातिल व बेअसर है जिसे बातिल व बेअसर करार दिया जावे का निवेदन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चांदपुर का आदेश दिनांक 20.04.2015 इन्तकाल सं0 1507 ग्राम चांदपुर का आराजी खसरा नं0 638/0.13 के 1/7 भाग को निरस्त फरमाया जावे निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पा0 की बाद विधिवत तलवी रेस्पा0 सं0 3 अनुपस्थित रहे एवं बाद तलवी रेस्पा0 सं0 1,2,4 स्वयं उपस्थित आये एवं रेस्पा0 सं0 4 ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है तथा रेस्पा0 सं0 1,2 ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं सहमति स्वरुप अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

अपीलान्ट अपनी अपील के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं0 2070–2073 नकल इन्तकाल सं0 1434,1507 एवं नकल जमाबन्दी सं0 2066–2069 वाके ग्राम चांदपुर की पेश की जो शामिल पत्रावली है

वकील अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र दफा 5 की बहस सुनी गई। दोराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील के जिमनो को दोहराते हुऐ आराजी खसरा नम्बर 638/0.13 है0 का 1/7 भाग होशियार सिंह की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही होना तथा होशियार सिंह ने अपनी उक्त आराजी की रिलिज डिड अपीलान्ट के नाम कर दिया जाना व जिसके आधार पर अपीलान्ट के नाम इन्तकाल सं0 1434 दिनांक 20.05.2014 को दर्ज व मन्जूर हो जाना तथा अपीलान्ट रिलिज से प्राप्त आराजी पर काबिज काश्त होकर काश्त रहना तथा इन्तकाल सं0 1434 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाना तथा रिलिज कर्ता के नाम ही दर्ज रही होना जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पा0 सं0 2 ने रेस्पा0 सं0 3 के नाम आराजी खसरा नं0 638 व 437 का बयनामा करा दिया जिस पर उक्त इन्तकाल सं0 1507 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

पंचायत द्वारा बेजा बिना रिकार्ड जांच किये ही दर्ज कर दिया जाना जबकि खसरा नं0 638 में रिलिज कर्ता होशियार का कोई हक व हकूक ही नहीं रहा होने की स्थिती में बयनामा प्रारम्भ से शून्य है तथा शून्य बयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल सं0 1507 खसरा नं0 638 तक बातिल व बेअसर है जिसे बातिल व बेअसर करार दिये जाने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने पर यह न्यायालय अपील अपीलान्ट को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत चांदपुर द्वारा स्वीकार इन्तकाल सं0 1507 दिनांक 20.04.2015 वाके ग्राम चांदपुर को आराजी खसरा नं0 638 वाके ग्राम चांदपुर की हद तक निरस्त किया जाता है और शेष आराजी के बाबत उक्त इन्तकाल निर्णय पूर्वतः यथावत रहेगा एवं पूर्व में रिलिजडीड के आधार पर स्वीकृत इन्तकाल सं0 1434 दिनांक 20.05.2014 अनुसार राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी पर अंकन नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित तत्कालीन पटवारी श्री दीपेन्द्र कुमार हल्का चांदपुर को अलिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया जाता है और हिदायत दी जाती है कि भविष्य में उक्तानुसार रिकार्ड में अंकन नहीं किये जाने की पुनरावृति नहीं की जावे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार मुण्डावर को अमल दरामद हेतु अहकाम जारी हो।

आज दिनांक 26.10.2018 को मेरे द्वारा निर्णय लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner